

01-05-2023

वाद पुकारा गया। प्रार्थी हीरा सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय जोशी एवं विपक्षी राजेश बिष्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद खान उपस्थित हैं।

16ख प्रार्थना-पत्र विपक्षी की ओर से सम्बन्धित दस्तावेजों की नकलें उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मामले में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश।

सुना। प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

पत्रावली दिनांक 25-05-2023 को आपत्ति/निस्तारण हेतु पेश की जाये।

(कौशल किशोर शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।